

अध्याय V

शुल्क छूट/शुल्क माफी योजनाएँ

सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इनपुट एवं पूँजीगत माल के आयात के लिए समग्र अथवा आंशिक सीमा शुल्क से छूट दे सकती है। ऐसे छूटप्राप्त माल के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वों (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं जिसमें विफल होने पर शुल्क की पूरी दर उदग्रहणीय हो जाती है। अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2015) के दौरान कुछ निदर्शी मामले देखे गए जहाँ इओज/शर्तों को पूरा किये बिना शुल्क छूट प्राप्त की गई थी जिन पर आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलों में कुछ राजस्व प्रभाव ₹ 168.94 करोड़ है।

फिरती की वसूली न होना जहाँ निर्यात आय वसूल नहीं हुई है

5.1 सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर फिरती नियमावली, 1995 के उप-नियम 16ए (1) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75(1) के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ एक निर्यातक को फिरती की राशि का भुगतान किया गया है परन्तु ऐसे निर्यात माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम (फेमा) 1999 के अन्तर्गत अनुमत समय में वसूल नहीं हुई है, वहाँ ऐसी फिरती राशि वसूल की जानी है। उप - नियम 16ए (2) यह भी निर्धारित करता है कि यदि निर्यातक फेमा, 1999 के अन्तर्गत अनुमत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विस्तारित अवधि में निर्यात आय की वसूली के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क निर्यात आय की वसूली का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें विफल होने पर दावेदार को भुगतान की गई फिरती की राशि वसूल करने के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

\$25,000 केवल तक मूल्य की निर्यात आय की निगरानी के लिए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने परिपत्र सं.5/2009 दिनांक 2 फरवरी 2009 के द्वारा निर्यात आय वसूली हेतु एक आन्तरिक निगरानी तंत्र प्रारंभ किया तथा निर्यातकों द्वारा पालन किए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की।

परिपत्र में निर्यातकों द्वारा उदघोषणाओं के प्रबन्धन तथा निर्यात आय वसूली की निगरानी हेतु एक विशेष सेल के गठन पर बल दिया गया है। उन मामलों में जहाँ निर्यात आय वसूल नहीं हुई है, वहाँ भुगतान की गई फिरती की वसूली के लिए सीमा शुल्क द्वारा नोटिस जारी किये जाने हैं।

चार सीमा शुल्क कमिशनरियों (चेन्नै समुद्र, चेन्नै वायु, तूतीकोरीन तथा कोयम्बटूर) में निर्यात डाटा के साथ आरबीआई एक्सओएस की तुलना करने से (31 मार्च 2013 तक) पता चला कि 619 शिपिंग बिलों के संबंध में निर्यात आय वसूल नहीं हुई थी जिनके लिए ₹ 9.12 करोड़ के फिरती भुगतान किये गए थे। निर्यात आय की वसूली न होने की पुष्टि डीजीएफटी डाटाबेस से भी हुई है। ये सभी शिपिंग बिल 31 मार्च 2013 अथवा उससे पहले के थे, जिसके कारण निर्यात आय वसूली के लिए उपलब्ध समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अतः, इन मामलों में, भुगतान की गई फिरती उपरोक्त फिरती प्रावधानों के अनुसार ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 2015), विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि चेन्नई (समुद्र) और तूतीकोरीन कमिशनरियों के अन्तर्गत संबंधित निर्यातकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

गलत डीईपीबी क्रेडिट दर लगाने के कारण अधिक डीईपीबी क्रेडिट

5.2 सार्वजनिक सूचना द्वारा समय-समय पर यथा सूचित डीईपीबी क्रेडिट दर को स्टोर किया जाता है और अद्यतित किया जाता है।

डीईपीबी हकदारियों के डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि लागू क्रेडिट दर, डीईपीबी दर निर्देशिका से भिन्न थे, दिए गए दर 32 अभिलेखों में लागू दर से अधिक थे जिसके कारण ₹ 23.78 लाख राशि का अधिक शुल्क क्रेडिट का परिणाम हुआ। उपरोक्त गलत शुल्क क्रेडिट में से केवल आरएलए अहमदाबाद से संबंधित 10 अभिलेखों में ₹ 12.41 लाख क्रेडिट देखा गया था।

इसे सितम्बरमंत्रालय को/में विभाग 2015 बरअक्टू/ बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (2016 जनवरी)।

अग्रिम प्राधिकरण का गलत निपटान

5.3 एफटीपी- 2009-14 के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार, एक अग्रिम प्राधिकरण (i) प्रत्यक्ष निर्यात (सेज के निर्यात सहित), (ii) मध्यवर्ती आपूर्तियों, (iii) एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (आई), एवं (जे) में दर्शायी गई श्रेणियों के माल की आपूर्ति, जिन्हें डीम्ड निर्यात माना गया है तथा (iv) विदेश जाने वाले पोत के बोर्ड पर 'भण्डार' की आपूर्ति के लिए इनपुट के निशुल्क आयात को अनुमत करने के लिए जारी की जाती है।

ऊपर दर्शाए गए अग्रिम प्राधिकरण के प्रति आयातित माल को सं.96/2006-सीशु दिनांक 11 सितम्बर 2009 तथा 112/2009-सीशु दिनांक 29 सितम्बर 2009 के अन्तर्गत उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8बी तथा 9ए के अन्तर्गत उस पर उदग्रहणीय सुरक्षा शुल्क एवं एन्टी डम्पिंग शुल्क सहित सभी आयातित शुल्कों से छूट दी गई थी। अधिसूचना सं.96/2009-सीशु के अन्तर्गत जारी किए गए प्राधिकरण के निर्यात दायित्व (ईओ) एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार अपने विनिर्मित माल का, प्रत्यक्ष निर्यात करके अथवा एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (ii) के अनुसार निर्यातकों को अपने परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके शर्त 1(viii) के अनुसार पूरा किया जाना था। अधिसूचनाओं की शर्तों को पूरा करने में विफल होने के मामले में, प्राधिकार धारक अधिसूचना की शर्त(1)(iv) के अनुसार लागू ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करने का दायी था।

अधिसूचना सं.112/2009-सीशु दिनांक 29 सितम्बर 2009, एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (iii) के अन्तर्गत जारी की गई ए के प्रति आयातित माल पर ऊपर दर्शाई गई शुल्क छूट अनुमत करते हुए, पैराग्राफ 2, में यह निर्दिष्ट करते हुए शुल्क लाभों को सीमित करती है कि अधिसूचना के साथ स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (ए), (बी), (सी), (आई) एवं (जे) के अन्तर्गत कवर किये गए तैयार माल की आपूर्ति के लिए अपेक्षित सामग्रियों के संबंध में सुरक्षा शुल्क तथा एन्टी डम्पिंग शुल्क से छूट उपलब्ध नहीं होगी जिसमें उप-खण्ड (iii) (बी) के अन्तर्गत निर्यात उन्मुख इकाईयों को माल की आपूर्ति शामिल है।

मै. कल्पना प्लास्टिक्स, लि कोलकाता तथा दो अन्य आयातकों को क्षेत्रीय डीजीएफटी, कोलकाता के कार्यालय द्वारा इन पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं.

96/2009-सीमा शुल्क दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के पृष्ठांकन के साथ पाँच अग्रिम प्राधिकरण प्रदान किये गए थे (जनवरी 2010 से अगस्त 2012) जिसके प्रति उन्होंने अधिसूचना सं. 96/2009-सीशु के अन्तर्गत ₹ 2.63 करोड़ की शुल्क छूट प्राप्त करके कोलकाता पतन कमिश्नरी के माध्यम से माल का आयात किया। तथापि जेडडीजीएफटी, कोलकाता द्वारा जारी किये गए निर्यात दायित्व निपटान प्रमाण पत्रों (ईओडीसी) तथा जेडडीजीएफटी, कोलकाता तथा सीमा शुल्क को प्राधिकार धारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आपूर्ति/निर्यात के विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि उक्त पाँच प्राधिकरण के ईओ का निपटान एक ईओयू इकाई (यथा, मै तारा होल्डिंग्स प्रा. लि.) को माल की उनकी आपूर्ति के प्रति किया गया था जो एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (बी) के अनुसार डीम्ड निर्यात माना गया है। तथापि, अधिसूचना सं.96/2006-सीशु के अन्तर्गत ईओ का निपटान आयातकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात अथवा की गई मध्यवर्ती आपूर्ति द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए आपत्ति जनक मामलों में डीम्ड निर्यात आपूर्तियों के प्रति ईओ का निपटान गलत था जिसके लिए आयातक उपरोक्त अधिसूचना की शर्त (iv) के अनुसार ₹ 86.99 लाख के लागू ब्याज के साथ ₹ 2.63 करोड़ के कुल शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी थे। यह अनियमितता सीमा शुल्क विभाग द्वारा भी देखी गई थी जिसके बदले में आयातकों से किसी शुल्क की वसूली किये बिना बाण्ड एवं संबंधित बैंक गारन्टी निरस्त (अगस्त 2012) कर दी थी।

प्रारंभ में यह मामला अक्टूबर 2013 में सीमा शुल्क के समक्ष रखा गया था तथा बाद में मई 2014 में डीजीएफटी, कोलकाता को सूचना दी गई थी। डीजीएफटी, कोलकाता ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2014) तर्क दिया कि आपत्ति किए गए प्राधिकरणों को डीम्ड निर्यात आपूर्तियों के आधार पर प्रतिपूरित किया गया था क्योंकि फर्म ने वास्तव में डीम्ड निर्यात श्रेणियों के लिए अग्रिम प्राधिकरण हेतु आवेदन किया था परन्तु सीमाशुल्क अधिसूचना सं.96/2009 स्वतः ही डीजीएफटी सर्वर के माध्यम से सृजित प्राधिकरण की प्रति पर पृष्ठांकित हो गई थी। विभाग को सूचित किया गया था (मार्च 2015) कि उनका उत्तर नहीं संधारणीय है क्योंकि न तो सभी आपत्तिशुदा प्राधिकरणों पर अधिसूचना सं 96/2009-सीशु के पृष्ठांकन को संशोधित किया

गया था एवं न ही अधिसूचना सं 112/2009-सीशु की अनुपालना में ईओयू को डीमड निर्यात आपूर्ति के समय पर अधिसूचना सं 11/2008-सीशु दिनांक 23 जनवरी 2008 (जैसा संशोधित किया गया है) के अंतर्गत आयातित सामग्रियों पर लागू ₹ 18.41 लाख के एन्टी डम्पिंग शुल्क की वसूली सुनिश्चित की गई थी जो उनके तर्क को न्यायोचित बनाता है।

सीमा शुल्क विभाग ने सभी आयातकों को मांग नोटिस जारी करने की सूचना देते समय (मार्च एवं मई 2015) तर्क दिया था कि अधिसूचना सं 96/2009-सीशु डीमड निर्यात को भी कवर करती है क्योंकि यह केवल यही निर्दिष्ट करती है कि माल का निर्यात करके ईओ का निपटान किया जाना है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि तैयार माल प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करना होगा।

सीमा शुल्क विभाग को सूचित किया गया था (जून 2015) कि उनका उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(18) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, निर्यात का अर्थ है "भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना" जिसका अर्थ निश्चित रूप से प्रत्यक्ष निर्यात है परंतु इसमें डीमड निर्यात आपूर्तियों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि भारत के अन्दर स्थित ईओयू की आपूर्ति को कवर करने वाले एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (iii) के अंतर्गत निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य से भी लेखापरीक्षा तर्क स्पष्ट था कि एफटीपी के पैराग्राफ 4.1.3 (iii) के अंतर्गत डीमड निर्यात के लिए जारी किए गए अग्रिम प्राधिकरण के प्रति आयात पर शुल्क लाभ अनुमत करने के लिए एक अलग अधिसूचना सं 112/2009-सीशु दिनांक 29 सितंबर 2009 पहले ही जारी की जा चुकी है।

में. कल्पना प्लास्टिक्स लि. के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2015) कि आपूर्तियाँ ईओयू को डीमड के रूप में की गई थी क्योंकि इनको एन्टी डम्पिंग शुल्क सहित सभी शुल्कों के भुगतान से छूट दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना सं. 112/2009-सीशु (उप पैरा 2 का संदर्भ लें) के अन्तर्गत ईओयूज को की गई आपूर्तियों को एन्टी डम्पिंग तथा सुरक्षा शुल्कों से छूट नहीं दी गई है।

वित्त मंत्रालय (ड्राबेक डिविजन) ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि:

- i) अधिसूचना सं.112/2009-सी.शु का पैरा 3 विशिष्ट रूप से एडीडी से ईओयू को पूर्ति किए जाने वाले अन्तिम माल के विनिर्माण के लिए सामग्री की छूट प्रदान करता है।
- ii) एफटीपी स्व: निहित एए योजना के तहत ईओ पूरा करने के लिए विभिन्न अनुमति योग्य साधनों का प्रावधान करता है। एफटीपी में कोई प्रावधान निर्यात के योग्य विभिन्न अनुमत साधनों द्वारा आपूर्ति से रोक नहीं लगाता। डीजीएफटी का आवेदन फार्म एएनएफ 4जे और एएनएफ 4एफ से छूट दोनों “निर्यातित/आपूर्ति” के रूप में उत्पादों या मर्दों से संबंधित है।
- iii) अधिसूचना सं.96/2009-सी.शु. और 112/2009 सी.शु. सहित राजस्व द्वारा जारी अधिसूचनाएं योजना के संदर्भ में लागू की जानी अपेक्षित हैं।
- iv) छूट एफटीपी के अनुरूप थी और इसलिए शुल्क वसूली योग्य नहीं है।

वित्त मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- i) अधिसूचना 112/2009-सी.शु. का पैरा 3 ईओयू को “उसी रूप में” आयातित माल की आपूर्ति के लिए है और ईओयू को एए धारक के निर्मित माल की आपूर्ति के लिए नहीं। इस तत्कालिक मामले में आयातित माल “उसी रूप में” आपूर्ति नहीं की गई थी बल्कि ईओयू को अन्तिम माल की आपूर्ति की गई थी। अतः अधिसूचना के साथ जोड़े गए स्पष्टीकरण (बी) के साथ पठित अधिसूचना 11/2009 सी.शु. का पैरा 2 लागू था जो ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी को आपूर्ति किए गए माल के संबंध में, जो अन्तिम उत्पादों के लिए अपेक्षित हैं से विशिष्ट रूप से सुरक्षा और एडीडी से छूट अनुमत करता है। तदनुसार, एडीडी वसूली योग्य था। यदि मौजूदा मामले में अन्तिम उत्पाद ईओयू को एए धारक द्वारा आपूर्ति किया गया है।
- ii) एफटीपी केवल निर्यात की विभिन्न श्रेणियों को निर्धारित करता है जिनके लिए एए जारी किया जा सकता है। तथापि, एए सीमा शुल्क अधिसूचना वार/निर्यात श्रेणी वार जारी किया जाना है जैसा एबीपी के खण्ड-I के पैरा 4.20, 4.20.2 से स्पष्ट है।

एएनएफ 4एफ और एए से छूट “निर्यातित/आपूर्ति” के रूप में उत्पाद या मर्चों से संदर्भित है क्योंकि समान फार्म एए की सभी श्रेणियों की छूट के लिए प्रयोग होता है। तथापि, संलग्न दिशानिर्देशों में प्रत्यक्ष निर्यात और माने गए निर्यातों के लिए एए की छूट हेतु प्रक्रियाओं/दस्तावेजों का पृथक सेट अपेक्षित है।

iii) प्रत्यक्ष निर्यात और माने गए निर्यात के लिए एए की छूट विनियमित करने के लिए पृथक सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की गई थी (96/2009 सी.शु. और 112/2009-सी.शु.) जो संबंधित एए धारकों पर बाध्यकारी हैं।

iv) तदनुसार, शुल्क छूट अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुपालन द्वारा विनियमित है जिसके अन्तर्गत एए जारी किया गया था। ऐसी शर्तों को पूरा करने में विफलता से शुल्क की वसूली आवश्यक हो जाती है।

शेष यूनिटों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

एसएचआईएस योजना के अन्तर्गत अपात्र फर्म को अनुचित लाभ

5.4 प्रक्रिया की हस्तपुस्तक (एचबीपी), खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.10.3 में परिकल्पित किया गया है कि यदि किसी आवेदक ने वर्ष 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकरण प्राप्त किया है, तो वह उस वर्ष के दौरान किये गए निर्यात के लिए स्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस) के लिए पात्र नहीं होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, पानीपत के अन्तर्गत में.राज ओवरसीज, पानीपत ने 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना (₹ 0.59 करोड़ तक शुल्क बचाया) का लाभ लिया था। तथापि, फर्म को उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में वर्ष 2012-13 के दौरान एसएचआईएस योजना के अन्तर्गत (एसएचआईएस लाइसेंस सं. 3310027774 दिनांक 30 सितम्बर 2013) किये गए निर्यात के लिए ₹ 1.41 करोड़ का लाभ भी अनुमत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एसएचआईएस योजना के अन्तर्गत ₹ 1.41 करोड़ की राशि का गलत अनुदान हुआ जो लाइसेंस धारक से वसूली योग्य है।

यह बताए जाने पर (नवम्बर 2013), विभाग ने बताया (जून 2014) कि निर्धारिती को उक्त राशि वापिस करने का निर्देश दिया गया था। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

आवेदन अवधि के बाद दी गई सेवाओं के लिए एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट का अनुदान

5.5 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 3.16.1 (बी) के अनुसार, पैराग्राफ 3.16.4 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्थिति धारक 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान किये गए निर्यात के पोतपर्यंत निशुल्क (एफओबी) मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होंगे। प्रक्रिया की हस्तपुस्तक (एचबीपी) खण्ड-1, 2009-14 के पैराग्राफ 3.10.3 (ए) के अनुसार 2009-10 से 2012-13 के दौरान किये गए निर्यात के लिए स्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप(एसएचआईएस) आवेदन फाइल करने के लिए अन्तिम तिथि क्रमशः 2011/2012/2013/2014 की 31 मार्च होगी।

क्षेत्रीय साइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए), कोयम्बटूर द्वारा जारी किये गए एसएचआईएस लाइसेंसों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2011-12/2013-14 के दौरान 17 निर्यातको द्वारा फाइल किये गए 18 आवेदनों के सम्बन्ध में उस वित्तीय वर्ष जिसमें आवेदन किए गए थे के बाद किये गए निर्यातों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किये गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 43.58 लाख तक एसएचआईएस क्रेडिट का अधिक अनुदान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2015), विभाग ने 14 आयातकों से ₹ 28.46 लाख के अधिक शुल्क क्रेडिट की वसूली सूचित की (मार्च 2015)। शेष तीन मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

पहले ही जारी की गई शून्य शुल्क ईपीसीजी और विपरित क्रम कंपनियों को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की मंजूरी

5.6 स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस) को निर्यात के वर्ष के बाद के वर्षों में लागू किया जा सकता है। एचबीपी के पैरा 3.10.3(बी) के अनुसार, किसी आवेदक द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार प्राप्त किये जाने के मामले में, वे उस वर्ष (अर्थात् संबंधित विगत वर्ष के दौरान किया

गया निर्यात) हेतु एसएचआईएस के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे एसएचआईएस आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और पैरा 9.3 (आवेदन दाखिल करने में विलम्ब के कारण कटौती) भी इस पर लागू नहीं होगा।

मामलों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 61.57 करोड़ के शुल्क क्रेडिट हेतु 74 एसएचआईएस स्क्रिप उन मामलों में; जहां शून्य शुल्क इपीसीजी प्राधिकार उक्त वर्ष में एक उसी फर्म को पहले ही नियमित रूप से जारी किये जा चुके थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सात³⁷ आरएलएज के अंतर्गत नौ मामलों में लाइसेंस/स्क्रिप अनुचित रूप से जारी किये गये थे। यद्यपि, कुछ मामलों में, आवेदनों पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई और निरस्त करने के समय पर सेन्ट्रल सर्वर के वे डाटा बेस में अद्यतित नहीं थे; को दर्शाते हुए लाइसेंस/स्क्रिप जारी करने से पहले निरस्त कर दिये गये थे।

आरएलए, अहमदाबाद ने कहा (सितम्बर 2015) कि फर्म को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएचआईएस लाइसेंस प्रस्तुत करने के निदेश दिये गये हैं।

आरएलए, सूरत, गांधीधाम, बेंगलूर, वाराणसी, कोची और लुधियाना के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2016)।

वीएफएफएम योजनाओं के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट की मंजूरी में अनियमितताएं

5.7 अध्याय-3 योजनाएं नामतः विशेष कृषि उपज योजना (वीकेयूवाई), फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), फोकस प्रोडक्ट (एफपीएस), और मार्केट लिंकड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलपीएस) संयुक्त रूप से वीएफएफएम योजनाओं के रूप में जानी जाती हैं।

सीमा शुल्क आपूर्त के अधिक मूल्यों के कारण एफओबी मूल्यों पर हकदारी की मंजूरी के कारण वीएफएफएम योजनाओं के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी

5.7(क) निर्यातकों के अधिकतर लाभ एफटीपी के अंतर्गत शिपिंग बिल सूचना पर आधारित हैं। शिपिंग बिलों के ऑनलाईन फाइलिंग और निकासी के बाद, सूचना डीजीएफटी को सीमा शुल्क द्वारा संप्रेषित की जाती है।

³⁷ बेंगलूर, अहमदाबाद, सूरत, गांधीधाम, वाराणसी, कोची और लुधियाना।

आरएलए, अमृतसर, पानीपत, लुधियाना, चंडीगढ़, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, हैदराबाद तथा कोलकाता में लाईसेंस फाइलों की नमूना जांच से पता चला कि समान विवरण तथा समान सीटीएच के अन्दर आने वाली प्रत्येक एसबी के सभी मदे, वीएफएफएम क्रेडिट की समान दर के लिए स्वीकार्य, प्रत्येक एसबी के प्रति एक क्रम संख्या के अन्तर्गत इकट्ठी की गई थी। यह मद स्तर पर सीमाशुल्क मूल्य की तुलना में, जैसा वीएफएफएम आवेदनों में दावा किया गया मद स्तर पर एसबीज के एफओबी मूल्य के बेमेल में परिणत हुई। 122,106 शिपिंग बिल अभिलेखों के मामले में (22,453 लाईसेंस फाइलें), ₹ 720.46 करोड़ का शुल्क क्रेडिट एक क्रम संख्या के अन्तर्गत इकट्ठा किया गया जो मद स्तर पर एसबी मदों के सीमाशुल्क प्रमाणित एफओबी मूल्यों के साथ प्रमाणित नहीं किया जा सका।

उसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो मामलों (आरएलए, अहमदाबाद) में विभिन्न आवेदनों में समान शिपिंग बिल प्रयोग किए गए थे जिन पर एफटीपी के अध्याय 3 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रीप स्वीकृत किए गए थे जो गलत शुल्क क्रेडिट में परिणत हुआ। आरएलए, अहमदाबाद से उत्तर की प्रतीक्षा है।

यह अक्टूबर 2015 में मंत्रालय को बताया गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

5.7(ख) वीएफएफएम योजनाओं तथा डीईपीबीयोजनाओं के लिए समान एसबी मद के अलग एफओबी मूल्य

एफटीपी के अध्याय 4 की डीईपीबी योजना के अन्तर्गत तथा साथ-साथ अध्याय 3 के अन्तर्गत वीएफएफएम के लिए शुल्क क्रेडिट पात्रता के लिए समान शिपिंग बिल प्रयोग किए जा सकते हैं।

ऐसी एसबीज, जो दो विभिन्न योजना लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई थी यथा डीईपीबी तथा वीएफएफएम के एफओबी के मूल्यों की अवधि 2014-15 के दौरान एक तुलना से पता चला कि 44 मामलों में (आरएलए, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोचीन तथा पुणे) जहाँ दोनो योजनाओं में समान मद प्रयोग किए गए थे, एफओबी मूल्य विभिन्न थे,

और बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) संख्या एसबी की तिथि भी समान थे, जो संकेत करता है कि दोनो योजनाओं के अन्तर्गत दावें, प्राप्ति पूर्व दावों बनाए गए थे।

दो एफओबी मूल्यों के निम्नतर पर गणना किए गए शुल्क क्रेडिट ने उपर्युक्त 44 मामलों में ₹5.20 करोड़ के अधिक शुल्क क्रेडिट की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सुसंगत तालिका में उपलब्ध बैंक प्राप्ति सूचना या शिपिंग बिल के अनुसार मूल्यों को ध्यान में रखने के बाद एफओबी मूल्य संशोधित किए गए थे, जो अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी को परिहार करने के लिए इनपुट नियंत्रण को सुधारने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

आरएलए, कोलकाता में आठ लाईसेंस फाईलों की प्रति जांच से पता चला कि जब डीईपीबी मद स्तर मूल्यों के साथ तुलना की गई, एसबी मदों की मद स्तर एफओबी मूल्य का एक बेमेल था, जैसा वीएफएफएम में दावा किया गया था, क्योंकि वीएफएफएम दावों के प्रति एक क्रम संख्या के अन्तर्गत वीएफएफएम क्रेडिट की समान दर के साथ समान सीटीएच के अन्तर्गत आने वाली, समान विवरण की प्रत्येक एसबी के सभी मदों को इकट्ठा किया गया था।

अतः शुल्क क्रेडिट लाभ प्रदान करने के लिए मद स्तर पर एसबी के एफओबी मूल्य जैसे महत्वपूर्ण डाटा की प्रस्तुति तथा दर्ज करना सुनिश्चित करने की अपर्याप्त अनुपालना थी।

अगस्त/अक्टूबर 2015 में विभाग/मंत्रालय को यह बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

5.7)ग (वीएफएफएम योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट का प्रदान करना जहाँ निर्यात तिथि गलत है

वीएफएफएम शुल्क हकदारी दावों से संबंधित शिपिंग बिल (एसबी) सूचना से पता चला कि 160018 एसबीज के लिए निर्यात तिथि लेट एक्सपोर्ट आर्डर (एलईओ) से पहले थी। 2014-15 की अवधि के दौरान वीएफएफएम योजनाओं

के तहत ऐसे 160018 एसबीज के प्रति ₹ 959.37 करोड़ की राशि का शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया था।

नमूना जांच से पता चला कि आरएलए पानीपत, चण्डीगढ़, तथा विशाखापत्तनम के अन्तर्गत वीएफएफएम के 2342 एसबीज में ₹ 5.62 करोड़ का शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया था जिनमें निर्यात तिथि एलईओ से पहले थी/शिपिंग बिल की तिथि एलईओ तिथि के बजाए निर्यात तिथि के रूप में दी गई थी।

आरएलए पानीपत तथा विशाखापत्तनम से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) मंजूरीयां

5.8 शर्त 3(i) के साथ पठित अधिसूचना स. 23/2003-सीई, दिनांक 31 मार्च 2003 के साथ अनुबंधित तालिका के क्रम स. 3 के अनुसार यदि डीटीए में 100 प्रतिशत इओयू द्वारा मंजूरी माल को पूर्ण रूप से भारत में विनिर्मित कच्चे माल से विनिर्मित किया जाता है, तब यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा और यदि इकाई आयातित कच्चा माल का उपयोग करता है, तब सीमा शुल्क के औसत के बराबर उत्पाद शुल्क उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 2 के प्रावधान के अनुसार भुगतान योग्य है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 की धारा 53 विशेष रूप से बताती है कि सेज को प्राधिकृत प्रचालनों के उद्देश्य हेतु भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र माना जाएगा।

एफटीपी का पैराग्राफ 9.21 डीटीए को भारत के अंदर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जो सेज और ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर है। इसके अलावा, सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 में प्रावधान है कि सेज से डीटीए को हस्तांतरित किये गये किसी माल पर सीमा शुल्क प्रभार्य होगा जिसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एन्टी डंपिंग, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क शामिल हैं, जो आयात के समय ऐसे माल पर उदग्रहय के रूप में लागू है। इस प्रकार, सेज से माल की खरीद को आयात के रूप में माना जाना अनिवार्य है और ऐसी खरीद को उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं.3

के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के भुगतान के उद्देश्य हेतु 'स्वदेशी खरीद' के रूप में नहीं माना जा सकता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-14 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, अहमदाबाद III के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मै. श्री अंबिका पोलीमर प्रा. लि, (ईओयू) ने उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 3 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर डीटीए में इसके तैयार माल (एचडीपीई पीपी वोवन फेब्रिक/उत्पन्न कचरा) को मंजूरी दी थी। तथापि, तैयार माल के मुख्य कच्चे माल (पोलीप्रोपलीन और मास्टर बैच) को मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि, जाम नगर, एक सेंज इकाई से खरीदा गया था। लेखापरीक्षित सत्त्व ने गलत रूप से सेज युनिट से प्राप्त आपूर्तियों को भारत से खरीदे गए कच्चे माल के रूप में माना और तदनुसार क्रम सं. 2 की बजाय उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 3 के अंतर्गत तैयार माल पर अपनी शुल्क देयता के रूप में संपादित किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 54.14 लाख तक शुल्क का कम भुगतान हुआ।

इसके बारे में बताए जाने पर (मई 2014) अधीक्षक (सीई) केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ने यूनिट की प्रतिक्रिया भेजते हुए (सितंबर 2014) निम्नलिखित आधारों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विरोध किया :-

क) सेज अधिनियम, 2005 की धारा 30 की इओयू द्वारा दी गई मंजूरीयों पर कोई प्रयोजनीयता नहीं है जिसके लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमावली का पालन किया जाना चाहिए था।

ख) एस्सार स्टील लि. बनाम यूओआई से मामले (2010(249) ईएलटी 3 (गुजरात)) में माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने विशेष रूप से उल्लेख किया (पैराग्राफ 20) कि सेज भारत में अवस्थित है।

ग) वर्षा एक्सपोर्ट्स बनाम यूओआई के मामले (2000 (71) ईसीसी 834) में माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात ने यह भी घोषण की कि काण्डला फ्री ट्रेड जोन भारत का अंग है।

निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:-

(I) चूंकि ईओयू ने सेज इकाई से अपना कच्चा माल खरीदा है, इस संव्यवहार को सेज अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में देखा जाना है जिसका ईओयू के डीटीए मंजूरी हेतु शुल्क संरचना पर सीधा प्रभाव है। अतः यह कहना अनुचित है कि ईओयू के डीटीए मंजूरी पर सेज अधिनियम लागू होने योग्य नहीं है।

(II) मै. एस्सार स्टील लि. के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत मुद्दा बिल्कुल अलग था क्योंकि यह सेज इकाईयों को की गई आपूर्तियों पर निर्यात शुल्क के उद्ग्रहण के मुद्दे से संबंधित है तथा मामले के तथ्यों को उसी संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए। सेज अधिनियम की धारा 30 भी स्पष्ट रूप से सेज इकाईयों द्वारा माल की डीटीए मंजूरी पर सीमाशुल्क का उद्ग्रहण निर्धारित करती है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन आपूर्तियों को आयात के रूप में माना गया है। इन संव्यवहारों के लिए प्रविष्टि बिल भी दर्ज किये गए थे जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मै. वर्षा एक्सपोर्ट के मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि निर्णय की अवधि के दौरान सेज अधिनियम 2005 (काण्डला सेज को 'काण्डला निशुल्क व्यापार क्षेत्र (केएफटीजेड)' के रूप में जाना जाता था) के प्रभाव में आने से पहले की अवधि से संबंधित है।

5.9 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार रत्न एवं आभूषण इकाईयों से अलग इकाईयां रियायती शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई को पूरा करने के अध्यक्षीन निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकती हैं। डीटीए बिक्री की हकदारी में, इकाई डीटीए में उन वस्तुओं के समान अपने उत्पाद बेच सकती है जो इकाईयों से निर्यात किये गए हैं या निर्यात किये जाने की उम्मीद है। वे इकाईयों जो एक से अधिक उत्पाद निर्मित एवं निर्यात कर रहीं हैं, इस शर्त के अध्यक्षीन कि कुल डीटीए बिक्री समग्र हकदारी से अधिक नहीं होगी, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक डीटीए में उन उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं।

मै. गोदावरी बायो रिफाइनरीज लि. जो एक 100 प्रतिशत ईओयू है, को रसायनों यथा 'क्रोटोनएलडिहाईड पैराएलडीहाईड, इथाईल एसीटेट' इत्यादि का विनिर्माण एवं

निर्यात के लिए अप्रैल 2011 (जैसा संशोधित किया गया है) एलओपी जारी किया गया था। इकाई ने डीटीए में 2013-14 से 2014-15 के दौरान उत्पादों यथा 'पैराएलडीहाईड' सीटीएच 29122990 के अंतर्गत वर्गीकृत तथा 'एसीटेलडीहाईड' सीटीएच 29121200 के अंतर्गत वर्गीकृत को क्रमशः ₹ 2.04 करोड़ और ₹ 3.98 करोड़ के मूल्य पर डीटीए में मंजूर कराया था। यद्यपि इस अवधि के दौरान डीटीए में मंजूर उत्पादों का कोई निर्यात नहीं किया गया था। चूंकि उत्पाद 'पैराएलडीहाईड' तथा 'इथाईल एसीटेट' का 2013-15 के दौरान निर्यात नहीं किया गया था। इसलिए शुल्क की रियायती दरों पर की गई डीटीए मंजूरी अनियमित है। तदनुसार, डीटीए मंजूरी पर ₹ 52.06 लाख का विभेदक शुल्क वसूलीयोग्य है।

इसे बताए जाने पर (मार्च/जुलाई 2015), मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि लाइसेंस धारक ने सुसंगत अवधि के दौरान सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि सम्बन्धी शर्तों को पूरा किया और डीटीए में क्लीयर किए गए उत्पाद एफटीपी 2009-14 के पैरा 6.8 (ए) में यथा अनुबद्ध समान माल है। इसलिए, लाइसेंसधारक इस शर्त के अध्याधीन डीटीए में इन उत्पादों को बेच नहीं सकते कि कुल डीटीए बिक्री समग्र हकदारी से अधिक नहीं हो सकती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है लेखापरीक्षा या तो एनएफई की उपलब्धि न होने या समग्र हकदारी के अधिक्य के कारण इन उत्पादों की डीटीए मंजूरी में आपत्ति नहीं उठा रही है। क्योंकि 'विशिष्ट' उत्पाद की डीटीए मंजूरी केवल जब उत्पाद का वास्तविक रूप से निर्यात किया गया है तब इसके मात्र एफओबी मूल्य की निर्धारित प्रतिशतता के अन्दर अनुमत है। यहाँ एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) में शब्द 'विशिष्ट' पर विश्वास करना अन्य शर्तों के पूरा करने के अतिरिक्त डीटीए में इसकी मंजूरी की पात्रता का निर्णय करने के लिए मूल विचार है। वर्तमान मामले में उत्पादों का निर्यात सुसंगत अवधि के दौरान नहीं किया जा रहा था बल्कि डीटीए में क्लीयर किए गए थे।

5.10 अस्वीकृत सत्त्व सूची (डेल) में फर्मों को लाइसेंस जारी करना

विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली 1993 के नियम 7 के साथ पठित, डीजीएफटी के प्रत्यावर्तन डिवीजन के दिनांक 31 दिसम्बर 2003 के परिपत्र सं. एफ सं. 18/24/मु./99-2000/ईसीए II के प्रावधानों के अनुसार एक अस्वीकृत सत्त्व सूची का अनुरक्षण किया जाता है। एक आईईसी धारक को

आगे कोई लाइसेंस देने हेतु इन्कार किया जा सकता है यदि उसे एफटीपी या एफटीडीआर अधिनियम के किसी उल्लंघन में डेल में रखा जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 17 आरएलएज³⁸ के अभिलेखों से नमूना जांच किए गए 349 मामलों में विभाग ने लाइसेंस जारी करने के समय पर डीईएल प्रास्थिति की जांच किए बिना ₹ 80.78 करोड़ के मूल्य के शुल्क क्रेडिट/सीफ के साथ लाइसेंस जारी किए थे।

लेखापरीक्षा आपित्तियों की प्रतिक्रिया में आरएलए मुरादाबाद, पानीपत और लुधियाना ने बातया कि डीईएल से हटाए जाने के बाद लाइसेंस/स्क्रिप जारी किए गए थे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फर्मों को डीईएल (सेन्ट्रल सर्वर) से हटाए बिना उन्हें लाइसेंस जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, डीईएल में सत्वों को लाइसेंस जारी करना, डीईएल आदेश स्थगन को देखते हुए सही नहीं था, क्योंकि दिसम्बर, 2003 के परिपत्र और विदेश व्यापार (विनियम) नियमावली, 1993 के प्रावधान के अनुसार डीईएल के अंतर्गत एक बार ब्लैक लिस्टेड होने के बाद एक आईसी धारक को लाइसेंस नहीं जारी किया जा सकता था।

इसके अलावा, आरएलए उत्तर से यह देखा गया कि सेन्ट्रल डीईएल डाटा बेस में अंतर्विष्टि एवं हटाने जैसे अद्यतन तेजी से नहीं किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप एक अविश्वसनीय डीईएल सूची बनाई गई।

डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली में ई-कॉम एप्लीकेशन प्रस्तुत करने अथवा ऐसे सत्वों को प्राधिकार/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करने हेतु डीईएल में सत्वों को निषिद्ध करने के लिए कारोबारी नियमों की समुचित व्यवस्था नहीं थी। डीईएल स्थिति की जांच मामले दर मामले आधार पर मैनुअल रूप से की जा रही है जिसके कारण चूक और गलत लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

आरएलए चेन्नई, कोम्बटूर, कोचीन, मदुरै, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, कानपुर दिल्ली एवं जयपुर से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी) 2016)।

³⁸ 17 आरएलए: कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बेत्तूर, कोचीन, कोच्ची, मदुरै, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, पानीपत, लुधियाना।